सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

प्रेस परिषद समीक्षा

त्रैमासिक पत्रिका

अक्टूबर 2022

भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 जुलाई 2022 – 30 सितंबर 2022)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 24 **अक्टूबर 2022** **अंक-4**

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, प्रेस के लिए तथा प्रेस के हितप्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी:

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का

ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिस पर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी। परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए यानि ऐसे लेख जोकि प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य स्तरों से निम्न स्तर के माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in,
so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जन मोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्त *	-	-
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

* श्री विनोद के. जोस को राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 06.10.2021 के जरिये परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। उन्होंने 23.10.2021 को त्यागपत्र दे दिया, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (5) के अनुसरण में 25.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया था।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, महाराष्ट्र
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

* उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
	समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}	
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}	
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
श्री शैलेंद्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
	लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
डॉ. के. केशव राव	राज्य सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
	सचिव : नंगसंग्लेम्बा आओ	

* इस श्रेणी में नामांकन अभी प्राप्त होना है।

विषय सूची

	प्रस्तावना	1
	संक्षिप्त विवरण	3
1.	14-15 सितंबर, 2022 को सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस तथा दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन संबंधी रिपोर्ट	6
2.	पत्रकारिता जगत से	7
3.	हिंदी दिवस रिपोर्ट 2022	9
4.	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	14
5.	तिमाही के दौरान परिषद के न्यायनिर्णयों की सूची	16
6.	परिषद के न्यायनिर्णय	18
7.	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची	37
8.	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेश	39

प्रस्तावना

प्रेस परिषद समीक्षा, त्रैमासिक पत्रिका, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और प्रेस के स्तर में सुधार के उद्देश्य से परिषद को प्राप्त अधिदेश का पालन करते हुए परिषद द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं कार्यकलापों को एक साथ प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट, मीडिया की कार्यप्रणाली में सुधार और भावी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए परिषद द्वारा किए गये अर्ध-न्यायिक और परामर्शीय क्रियाकलापों का प्रतिबिंब है।

यह अक्टूबर संस्करण है, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2022 की अवधि से संबंधित है। तिमाही के दौरान, नवनियुक्त अध्यक्ष महोदया ने 8 अगस्त, 2022 को अपनी प्रारंभिक परिषद बैठक की और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(6) के साथ पठित धारा 5(3)(क) के तहत रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के उद्देश्य से बैठकें कीं और 16 सितंबर, 2022 को उन्होनें इस मामले में अंतिम आदेश सुनाया।

1 जुलाई से 30 सितंबर, 2022 की तिमाही के दौरान, परिषद में कुल **236** शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से **53** शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर सरकारी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा दर्ज की गयीं थीं और **183** शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन हेतु प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं थीं। परिषद ने प्रेस से संबंधित **4** मामलों में स्वतः संज्ञान लिया।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या 7/2022-23 दिनांकित 19.07.2022 के माध्यम से प्रिंट मीडिया को सलाह देते हुए, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शिका का पालन करने के लिए कहा।

24 अगस्त, 2022 को विदेश मंत्रालय के कहने पर परिषद के सचिवालय ने मालदीव मीडिया परिषद से जुड़े संपादकों और पत्रकारों के लिए एक अंतः संवाद (इंटरएक्टिव) सत्र आयोजित किया। परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति ही हिन्दी दिवस समारोह 2022 मनाया गया। हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया तथा परिषद के चयनित कर्मियों को पूरे वर्ष, उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कार वितरित किये गये।

इस प्रकार, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह त्रैमासिक पत्रिका, सूचनात्मक संदर्भ रिकॉर्ड के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

******

संक्षिप्त विवरण

परिषद की कार्यप्रणाली

भारतीय प्रेस परिषद की त्रैमासिक पत्रिका "प्रेस परिषद समीक्षा" का यह अक्टूबर अंक है, जिसमें 1 जुलाई, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक की अवधि की गतिविधियों को कवर किया गया है। परिषद का उद्देश्य समाचारपत्र और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता के साथ संतुलन स्थापित करना था। तिमाही के दौरान परिषद में कुल 236 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 53 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर असामाजिक तत्वों और प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा दर्ज की गयीं थीं और 183 शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन हेतु प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं थीं। तिमाही के दौरान, परिषद द्वारा चार मामलों में न्यायनिर्णय आदेश पारित किए गए, जबकि जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने के कारण, 639 मामलों में कार्रवाई बंद कर दी गई। परिषद ने प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 13 के अनुरूप प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित चार घटनाओं में स्वप्रेरणा से भी कार्रवाई की। परिषद द्वारा 8 अगस्त और 22 सितंबर, 2022 को दो बैठकें कीं गईं और 26 अगस्त, 2022 को जांच समिति की बैठक की गई।

परिषद द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियां

तिमाही के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 15(4) के अनुसरण में, दो प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। पहली प्रेस विज्ञप्ति, 19 जुलाई, 2022 को जारी की गई, जिसके द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई परामर्शिका का पालन करने की प्रिंट मीडिया को सलाह दी गई। दूसरी प्रेस विज्ञप्ति, 21 सितंबर, 2022 को जारी की गई, जिसमें ओडिशा के नबरंगपुर जिले में मीडियाकर्मियों पर पुलिस के हमले के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।

परिषद का पुनर्गठन

श्री विनोद के. जोस को श्रमजीवी पत्रकार, जो संपादक हैं, की श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने 25.10.2021 को अपना त्यागपत्र दे दिया। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुसार, रिक्ति को उसी तरह भरा जाना था, जिस प्रकार पूर्व सदस्य को नामित किया गया था। अतः, तीन अधिसूचित संघों से नामों के नए पैनल आमंत्रित किए गए, और पार्टियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात, माननीय अध्यक्ष द्वारा संघों द्वारा

दायर नामों के पैनल को 16.09.2022 को अस्वीकार कर दिया गया। परिषद के सचिवालय को पुनः प्रक्रिया शुरू करने और नामों के नए पैनल आमंत्रित करने का निदेश दिया गया। मामले का विस्तृत विवरण अगले अंक में शामिल किया जाएगा।

परिषद द्वारा किए गए कार्यकलाप

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:-

1. मालदीव मीडिया परिषद से जुड़े संपादक और पत्रकारों के लिए अंतः क्रिया (इंटरएक्टिव) सत्र का आयोजन

माननीय विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर प्रेस परिषद के सचिवालय द्वारा नोएडा में स्थित एमिटी संस्थान के सहयोग से मालदीव मीडिया परिषद से जुड़े पत्रकारों के लिए एक अंतः संवाद (इंटरएक्टिव) सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान दोनों परिषदों की अधिकारिता, शिकायत प्रक्रिया और संचालन के साथ-साथ भावी सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की गई। इस सत्र का नेतृत्व न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष, परिषद द्वारा किया गया, इसके पश्चात कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद, श्री जी. सुधाकर नायर एवं भारतीय जनसंचार संस्थान में अंग्रेजी पत्रकारिता की पाठ्यक्रम निदेशक, प्रोफेसर संगीता प्रणवेंद्र द्वारा सम्बोधन किया गया।

2. हिंदी दिवस, 2022

प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष, भारतीय प्रेस परिषद से सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सूरत में 14-15 सितंबर, 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2022 और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

प्रत्येक वर्ष की तरह ही, परिषद के सचिवालय द्वारा 29 सितंबर, 2022 को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां परिषद कर्मियों को वृत्तचित्र दर्शाये गये और राजभाषा के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, हिंदी में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए एवं "हिंदी हमारी मातृभाषा है" विषय पर स्लोगन लेखन विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड (पीआरएबी)

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 की धारा 8 (ग) के अधीन भारतीय प्रेस परिषद को, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या धारा 8(ख)

के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील अधिकारिता सौंपी गई है। भारतीय प्रेस परिषद के बोर्ड में अध्यक्ष और परिषद के' सदस्यों में से, परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य होता है।

समीक्षावधि के दौरान, बोर्ड में माननीय अध्यक्ष के साथ श्री जयशंकर गुप्ता/श्री गुरिंदर सिंह वैकल्पिक सदस्यों के रूप में शामिल थे। बोर्ड द्वारा दो (2) बैठकें कीं गयीं और दस (10) मामलों पर विचार किया गया।

******

14-15 सितंबर, 2022 को सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस तथा दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन संबंधी रिपोर्ट

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, सूरत, गुजरात में 14-15 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया जिसमें, यथानिदेशानुसार, परिषद की ओर से श्रीमती निशि वाधवा, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा सहभागिता सुनिश्चित की गई।

हिंदी दिवस समारोह, 2022 के मुख्य अतिथि, श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, विशिष्ट अतिथिगण श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री एवं श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार थे। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री अजय कुमार मिश्रा, श्री निशिथ प्रामाणिक के साथ-साथ सुश्री अंशुली आर्या, आई.ए.एस., सचिव एवं डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की गरिमामयी उपस्थिति से सभी लाभान्वित हुए।

इस दौरान संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तहरि महताव जी एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री सत्य नारायण जटिया जी के साथ-साथ सीबीएफसी अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक मेहता जैसे दीर्घानुभवी वक्ताओं की सभी हिंदी प्रेमियों द्वारा अत्यधिक सराहना की गई।

आयोजन के दौरान, लोगों को हिंदी में अधिकाधिक कामकाज करने और बड़ी संख्या में युवाओं को इस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करने की दिशा में विचारपूर्ण चर्चा की गई। सम्मेलन से जुड़े लोगों व प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा की सरलता, सहजता और लोकप्रियता जैसी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जोकि हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने में अवश्य ही कारगर सिद्ध होगा।

पत्रकारिता जगत से

सकारात्मक मीडिया से होगा स्वर्णिम भारत का निर्माणः प्रो. द्विवेदी

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के महानिदेशक, प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि स्वर्णिम भारत के निर्माण में सकारात्मक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों को लोकमंगल और विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
04/07/2022

मीडिया की जीवंतता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतः मिश्र

राजस्थान के राज्यपाल 10 जुलाई को, कलराज मिश्र ने मीड़िया की जीवंतता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए उससे 'मिशनरी' के रूप में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यवसायीकरण के इस दौर में भी बहुत से पत्र–पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल स्वस्थ पत्रकारिता के मूल्यों का पालन कर रहे हैं, जो सराहनीय है।

मिश्र 10 जुलाई को वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गणतंत्र की जड़ों को सींचने का काम पत्रकारिता करती है, इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र को चौथा स्तंभ माना गया है। राज्यपाल ने कहा कि नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने तथा कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता और साख को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वह सच के साथ खड़े रहते हुए पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे। आजादी के आंदोलन में मीडिया के महत्त्वपूर्ण योगदान का जिक्र करते हुए मिश्र ने कहा कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी और अजीमुल्ला खां जैसी हस्तियों ने लोगों को आजादी के लिए आंदोलित करने का काम किया। उन्होंने समाचारपत्रों के जरिये ब्रिटिश हुकुमत की अराजकता को उजागर करते हुए उन्हें देश छोड़ने को मजबूर किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यावसायिक हितों के नाम पर प्रेस को जन भावनाओं को उद्वेलित करने वाले भ्रामक समाचार प्रकाशित–प्रसारित करने से बचना चाहिए।

जनसत्ता
नई दिल्ली
11/07/2022

'मीडिया स्वच्छ पत्रकारिता तक सीमित रहे'

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एनवी रमना ने मंगलवार को कहा कि मीडिया स्वच्छ पत्रकारिता के दायरे तक सीमित रहे। वह इसका इस्तेमाल अपने प्रभाव और कारोबारी हितों के विस्तार को साधने में न करें।

एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर मीडिया घरानों के अन्य कारोबारी हितों का हावी होना अत्यंत चिंताजनक है। जब किसी मीडिया हाउस के अन्य व्यावसायिक हित होते हैं, तो वह बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अक्सर, व्यावसायिक हित स्वतंत्र पत्रकारिता की भावना पर हावी हो जाते हैं। नतीजतन, लोकतंत्र से समझौता हो जाता है।

जस्टिम एनवी रमना ने निष्पक्ष पत्रकारिता को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए कहा कि मीडिया जो बताती या दिखाती है, लोग उसे सही मानते हैं। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सही तथ्यों से अवगत कराए। जस्टिस रमना ने कहा कि देश में आज भी लोग प्रकाशित खबरों पर भरोसा करते हैं।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
27/07/2022

फेक न्यूज के इस दौर में सच्चे पत्रकारों की जरूरत

फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का दौर चल रहा है। ऐसे हालात में हमें ऐसे पत्रकारों की जरूरत है, जो समाज के अनदेखे पहलुओं और गलतियों को उजागर करें। तथ्यों के साथ सच को उजागर करने वाले पत्रकारों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को विद्याथियों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'कुछ दिनों में देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हम सभी के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। 75 वर्षो में भारत ने हमारे संवैधानिक आदशों और मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। फिर भी स्वतंत्रता दिवस जैसा दूसरा उत्सव नहीं हो सकता। यह सिर्फ आनुष्ठानिक उत्सव न रहे, बल्कि हमें यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों और आजादी दिलाने वाले महापुरूषों के आदर्शों को पूरा करने में कितना आगे बढ़े हैं।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
10/08/2022

हिंदी दिवस समारोह रिपोर्ट-2022

प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने हेतु हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है | इस वर्ष, पहली बार हिंदी दिवस समारोह-2022 और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14-15 सितंबर, 2022 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूरत (गुजरात) में किया गया। भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने भारतीय प्रेस परिषद की ओर से इसमें भाग लिया।

हर वर्ष की तरह परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2022 से 28.09.2022 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया | परिषद के कर्मियों को हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सूक्तियों के पोस्टर तैयार करके उन्हें प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया।

हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 29 सितंबर 2022 को परिषद के सचिवालय में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हिंदी दिवस संबंधी वृत्तचित्र दिखाया गया। परिषद के सभी अधिकारी/कर्मचारी इनसे लाभान्वित हुए। सभी ने पूर्ण रूचि एवं तन्मयता के साथ ये वृत्तचित्र देखे।

तत्पश्चात् सहायक निदेशक (राजभाषा), श्रीमती निशि वाधवा ने हमारे देश में हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय में एकता का सशक्त माध्यम होने के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से भाषायी दासता से मुक्त होने और गर्व के साथ अपनी भाषा हिंदी का उपयोग करने

का आग्रह किया। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि आज हिंदी विश्व पटल पर एक अलग पहचान बना चुकी है जिसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है।

तत्पश्चात्, सचिव महोदय, श्री नंगसंग्लेम्बा आओ ने परिषद के कर्मियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी जनमानस के हृदय की भाषा है और साथ ही उन्होंने परिषद के कर्मचारियों से राजभाषा हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग एवं पत्राचार बढ़ाने की अपील की।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदया ने सचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत इस प्रेरणादायक अपील का समर्थन करते हुए, प्रेस परिषद के कर्मियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज की भाषा है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा, इसकी अपार शक्ति को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदया ने सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने हेतु सभी को सामूहिक रूप से इस दिशा में काम करने के लिए कहा।

इस उत्साहवर्धक संदेश के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई द्वारा प्रेस परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान हेतु हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टिप्पण/आलेखन एवं हिंदी टंकण जैसी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

अंत में, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सुश्री कनिका सक्सैना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान, परिषद में "हिंदी हमारी मातृभाषा है" विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए कुल 19 प्रविष्टियां प्राप्त हुई | इनमें से श्रेष्ठ तीन स्लोगन का चयन परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया, जिन्होंने परिषद के सभी कर्मियों द्वारा लिखे गए स्लोगनों की अत्याधिक सराहना करते हुए 3 विजेताओं का चयन किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र॰ सं॰	श्रेणी	पुरस्कार धारक का नाम		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
क	**स्लोगन-लेखन**	"हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने की भक्ति है।" श्रीमती मोनिका शर्मा (सहायक अनुभाग अधिकारी)	"जिसे पढ़कर विद्वान बने, भारत के वीर महान बने, चलो उस हिंदी पर अभिमान करे।" श्री युनूस अली (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)	"सौंधी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा।" श्री अशोक कुमार गुप्ता (सहायक अनुभाग अधिकारी)

इसके साथ ही, भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को हिंदी नोटिंग, ड्राफ्टिंग और टंकण के माध्यम से कार्यालयी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं॰	श्रेणी	पुरस्कार धारक का नाम		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
क	**टिप्पण/आलेखन**	श्री जसवंत कुमार (वरिष्ठ सचिवालय सहायक)	श्री सुमित कुमार (कनिष्ठ सचिवालय सहायक) श्री कुलदीप सिंह (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)	श्री अश्विनी मेहता (सहायक अनुभाग अधिकारी) श्री संदीप नेगी (वरिष्ठ सचिवालय सहायक) श्री अशोक कुमार गुप्ता (सहायक अनुभाग अधिकारी) श्री अजय कुमार (वरिष्ठ सचिवालय सहायक)
ख	**हिंदी प्रोत्साहन भत्ता (अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टंकण संबंधी कार्य हेतु)**	श्री सुमित कुमार (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)		

हिंदी दिवस समारोह 2022 के दौरान पुरस्कार वितरण

श्रीमती मोनिका शर्मा, स्लोगन- लेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री युनूस अली, स्लोगन- लेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

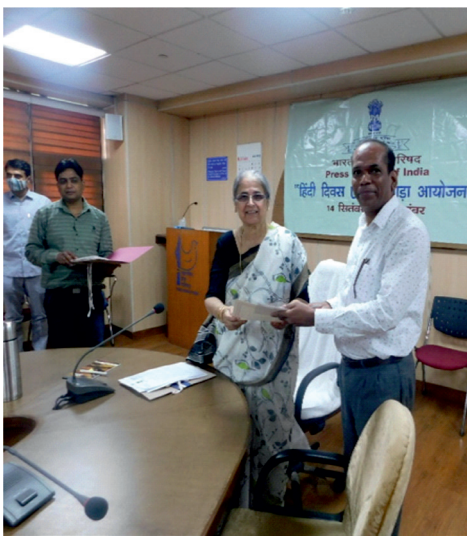

श्री अशोक कुमार गुप्ता, स्लोगन- लेखन एवं टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री सुमित कुमार, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री कुलदीप सिंह, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री अश्विनी मेहता, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री संदीप नेगी, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री अजय कुमार, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 7/2022-23/पीसीआई दिनांक: 19.07.2022

भारतीय प्रेस परिषद की प्रिंट मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी परामर्शिका का पालन करने की सलाह।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्शिका संख्या डीएम/15/2022-डीएम दिनांकित 13.06.2022 के जरिये मीडिया को सलाह दी है कि वह भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करें, जिसमें विशिष्ट तौर पर क्या करें एवं क्या न करें, के बारे में बताया गया है।

इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रिंट मीडिया के लिए निम्नलिखित निदेश दिये हैं:

"सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है, और यह चिंता का विषय है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन एक ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, जो अन्यथा बड़े पैमाने पर निषिद्ध है और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करती है। इसके अलावा, ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन संहिता, और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए 'पत्रकारिता के आचरण के मानक' के तहत विज्ञापन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, इसका संदर्भ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में भी दिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में और इससे जुड़े व्यापक जनहित से संबंध होने के कारण, प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचें। ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे न तो भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित करें और न ही ऐसे विज्ञापनों का लक्ष्य भारतीय दर्शकों को बनाये।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 8/2022-23/पीसीआई दिनांक: 21.09.2022

ओडिशा के नबरंगपुर जिले में मीडियाकर्मियों पर पुलिस हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली, 21 सितंबर: भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने अपर पुलिस अधीक्षक, श्री जयकृष्ण बहेरा द्वारा मीडियाकर्मियों को गाली देने और बेहद अमानवीय तरीके से, प्लास्टिक के सख्त पाइप से उन पर हमला करने, जिसमें तीन पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए, की कथित कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है।

इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, माननीय अध्यक्ष ने ओडिशा सरकार को इसके मुख्य सचिव, सचिव, गृह (पुलिस) विभाग और पुलिस महानिदेशक, ओडिशा के माध्यम से मामले के तथ्यों पर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

****

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची
(धारा 13 के अंतर्गत)

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
1.	श्री संजय कुमार सिंह, ब्यूरो प्रमुख, प्रातः कमल, बिहार की श्रीमती सुचिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षक, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, पहाड़पुर, मोतीहारी एवं पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/187/17-18-पीसीआई)	**22.9.2022**	अस्वीकृत

स्वप्रेरणा से संज्ञान

2.	चंडीगढ़ में पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में स्व-प्रेरणा संज्ञान। (13/74/स्वप्रेरणा/19-20-पीसीआई)	**22.9.2022**	मुआवज़ा देने के निदेश एवं टिप्पणी के साथ समाप्त
3.	फोटो-पत्रकारों, श्री अनिल सिन्हा और श्री संजीव वर्मा पर राजघाट, दिल्ली के निकट विरोध प्रदर्शन को कवर करने के कारण हुए हमले, मारपीट, गाली-गलौज और उन्हें जबरन वहाँ से हटाये जाने के संबंध में पीसीआई द्वारा लिया गया स्व-प्रेरणा संज्ञान। (13/185/स्वप्रेरणा/19-20-पीसीआई)	**22.9.2022**	समाप्त

प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची
(धारा 14 के अंतर्गत)

भ्रामक विज्ञापन

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
1.	सचिव, संदेश, जगपति निवास की संपादक, हिंदुस्तान, पटना, बिहार के विरुद्ध शिकायत। (14/304/17-18-पीसीआई)	**22.9.2022**	परिनिन्दा

परिषद के न्यायनिर्णय

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.9.2022

फा.सं.13 / 187 / 17–18–पीसीआई

शिकायतकर्ता

1. श्री संजय कुमार सिंह
   ब्यूरो चीफ,
   प्रातः कमल
   जिला-पूर्वी चंपारण,
   मोतिहारी (बिहार)

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव
   बिहार सरकार
   पटना
2. सचिव
   गृह (पुलिस) विभाग,
   बिहार सरकार
   पटना
3. पुलिस महानिदेशक
   बिहार पुलिस
   पटना
4. जिला मजिस्ट्रेट
   पूर्वी चंपारण,
   बिहार
5. पुलिस अधीक्षक
   पूर्वी चंपारण,
   बिहार
6. थाना प्रभारी,
   पहाड़पुर थाना
   पूर्वी चंपारण, बिहार
7. श्रीमती सुचिता कुमारी,
   महिला पर्यवेक्षक,
   बाल विकास परियोजना कार्यालय,
   पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण,
   बिहार

<u>तथ्य</u>

श्री संजय कुमार सिंह, ब्यूरो प्रमुख, प्रातः कमल, मोतिहारी (बिहार) ने श्रीमती सुचिता कुमारी, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, पहाड़पुर, मोतिहारी (बिहार) के विरुद्ध उनके खिलाफ

कथित तौर पर झूठा मामला दर्ज किए जाने के आरोप में एक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने के संदर्भ में, यह शिकायत दिनांकित 23.02.2018 दायर की है।

शिकायतकर्ता, श्री संजय ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने दिनांक 19.2.2018 को एक समाचार प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था, "सीडीपीओ पहाड़पुर ने डीपीओ आईसीडीएस मोतिहारी कार्यालय में अभिलेख किया समर्पित", जिसमें उन्होंने खंड विकास कार्यालय, मोतिहारी की एक घटना के बारे में बताया, जिसमें यह कहा गया है कि पर्यवेक्षक, श्रीमती सुचिता कुमारी दिनांक 2/4/2014 से 1/6/2014 तक कार्यालय से बाहर रहीं, तथापि उनकी अनुपस्थिति के दौरान भी उपस्थिति पंजिका में उनकी उपस्थिति अंकित थी। आक्षेपित समाचार में आगे बताया गया कि यह घटना तब सामने आई, जब श्री राजेंद्र कुमार दास, आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा), ने उपस्थिति रजिस्टर में कुछ विसंगतियां पाईं। इसी कार्यालय में तैनात सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी), श्रीमती मीरा कुमारी ने कथित तौर पर श्रीमती सुचिता कुमारी की हाजिरी लगाई थी। श्रीमती सुचिता कुमारी ने इस समाचार से व्यथित होकर दिनांक 20.2.2018 को शिकायतकर्ता के विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनि_ यम के तहत शिकायत दर्ज़ की। हालाँकि, शिकायतकर्ता, श्री संजय ने कहा कि समाचार रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्य सही हैं और प्रतिवादी, श्रीमती सुचिता कुमारी ने पुलिस शिकायत इस कारण से दर्ज की है, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से सच्चाई सामने आने से परेशान और प्रभावित महसूस कर रही थीं। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधि_ नियम के तहत मामला संख्या 47/2018 दायर किया गया है, जिसमें श्रीमती सुचिता कुमारी ने लोक सेवा अधिकार (आरटीपीएस) कार्यालय के सामने शिकायतकर्ता द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है, जो शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आरटीपीएस कार्यालय के सामने दोनों पक्षों के बीच ऐसी कोई बहस कभी नहीं हुई और सच प्रकाशित करने के लिए श्रीमती सुचिता कुमारी द्वारा उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।

अपने आगे के प्रस्तुतीकरण दिनांकित 03.03.18 में, शिकायतकर्ता ने कहा कि पहाड़पुर प्रखंड कार्यालय, जोकि आरटीपीएस कार्यालय, जहां श्रीमती सुचिता कुमारी के आरोपों के अनुसार दिनांक 20.02.2018 को उनके और शिकायतकर्ता के बीच बहस हुई, से 100 मीटर की दूरी पर है, में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग की उपलब्धता के बावजूद, पुलिस ने मामले की जांच के लिए वीडियो की समीक्षा नहीं की और शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। शिकायतकर्ता के मुताबिक यह प्रेस की स्वतन्त्रता पर सीधा हमला है।

शिकायतकर्ता ने आगे उल्लेख किया है कि उसने मामले में हस्तक्षेप करने हेतु, डीएसपी, अरेराज, एसपी, मोतिहारी, डीएम मोतिहारी, डीआईजी बेतिया और आईजी मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि श्रीमती सुचिता कुमारी के विरुद्ध सच्चाई प्रकट करने के

प्रयास के कारण वह 2015 से शिकायतकर्ता पर झूठा आरोप लगा रही हैं। श्रीमती सुचिता कुमारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत करने के लिए अपनी जाति संबंधी श्रेणी का दुरुपयोग कर रही हैं।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 17.3.2018 को अपने आगे के निवेदन में अपनी शिकायत को दोहराया है और इस मामले में परिषद द्वारा जांच का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता ने ईमेल दिनांकित 21.4.2018 के माध्यम से बताया कि गृह रक्षक मंत्री, श्री शिवपूजन यादव के दर्ज किए गए बयान के आधार पर स्थानीय पुलिस ने पुलिस अधीक्षक, श्री सी.बी. शुक्ला के दबाव में शिकायतकर्ता को लगातार धमकाया और उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर अवैध रूप से छापेमारी की।

शिकायतकर्ता ने ईमेल दिनांकित 08.05.2018 के माध्यम से परिषद को सूचित किया कि दिनांक 05.05.2018 को एसएचओ, पहाड़पुर ने उसके घर पर छापा मारा और उसे तथा उसके परिवार को धमकी भी दी। आगे दिनांक 16.5.2018 की प्रस्तुति में, शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पहले ही सरकार के उच्च अधिकारियों को लिख चुका है और सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर चुका है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने आगे उच्च न्यायालय में अपील की और उनकी जमानत याचिका प्रक्रियाधीन है। इस बीच, शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 25.5.2018 द्वारा अपने पत्र की एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय, पहाड़पुर को अग्रेषित कर उपस्थिति रजिस्टर में पाए गए फर्जी हस्ताक्षरों की जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराने का एवं परिषद से इस मामले में शीघ्रता से कार्रवाई करने और इस मामले में विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है।

दिनांक 04.04.2018 को, सरकारी प्राधिकारियों के साथ-साथ, प्रतिवादी को भी टिप्पणियों के लिए नोटिस भेजा गया।

<u>प्रतिवादी पुलिस प्रमुख, पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण द्वारा दर्ज़ उत्तर</u>

प्रतिवादी-पुलिस प्रमुख, पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण ने पत्र दिनांकित 18.08.2018 द्वारा अपनी लिखित शिकायत दर्ज़ की है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि श्रीमती सुचिता कुमारी, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, पहाड़पुर, मोतिहारी (बिहार) के अनुरोध पर दिनांक 20.02.2018 को आईपीसी की धारा 341/323/504/506/354 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की धारा 3(1){ग} के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा कि उपरोक्त मामले में, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने घटना स्थल की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप सही हैं और तदनुसार, आरोपी श्री संजय कुमार सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 9.7.2019 में अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक, पटना पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग से सीआईडी जांच की मांग पर, अपराध जांच विभाग ने पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के तहत कार्रवाई करने हेतु, धारा 341/353/504/506 के तहत पंजीकृत, प्रकरण संख्या 47/2018 में, पत्र संख्या 526 दिनांकित 5.6.2018 अग्रेषित किया है। हालांकि, पूर्व स्टेशन हाउस अधिकारी, श्री सी.बी. शुक्ला और जांच अधिकारी, श्री श्याम लाल ने न तो उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया और न ही केस डायरी में कोई संदर्भ दिया। उन्होंने आगे कहा कि माननीय न्यायालय से सर्च वारंट की मंजूरी के बिना, श्री सी.बी.शुक्ला ने मध्य रात्रि में उनके और उनके रिश्तेदारों के यहां तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने आगे कहा कि श्रीमती सुचिता कुमारी के मामले में गोपनीय जांच के बावजूद निदेशक, पुलिस प्रयोगशाला जांच विभाग, पटना, बिहार ने श्रीमती सुचिता कुमारी (प्रतिवादी) के भाई के दबाव में पत्र संख्या 60 दिनांकित 31.2.2019 के साथ दस्तावेज़ वापस कर दिए। इसलिए रुचि नहीं होने के कारण डेढ़ साल से जांच लंबित है। अतः, उन्होंने परिषद से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति ने 09-07-2019 की अपनी बैठक में पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस को यह निदेश देते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार को पत्र संख्या 526 दिनांकित 5.6.2018 के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पुलिस महानिदेशक को यह भी निदेश दिया गया कि इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें कि उक्त पत्र किस तिथि को थाने में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, जांच समिति ने गौर किया कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और जिला मजिस्ट्रेट को श्रीमती सुचिता कुमारी की अनुपस्थिति के आरोप और की गई कार्रवाई के संबंध में चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत से प्राप्त पत्र

श्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवाधिकार एक्टिविस्ट फोरम भारत ने पत्र दिनांकित 11.9.2019 द्वारा निवेदन किया कि श्रीमती सुचिता कुमारी द्वारा श्रीमती रेणु सिंह (शिकायतकर्ता की पत्नी), आंगनवाड़ी सेविका के रूप में तैनात, के मामले में जांच की पहल करने के बाद, शिकायतकर्ता ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और पत्रकारिता के रूप में अपने पेशे का दुरूपयोग किया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को, उनकी पत्नी द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 45 में हो रही अनियमितताओं के बारे में प्रकाशित करना चाहिए था। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने पर्यवेक्षक, श्रीमती सुचिता कुमारी के खिलाफ भ्रामक और निराधार समाचार प्रकाशित किया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है।

श्रीमती सुचिता कुमारी से प्राप्त पत्र

श्रीमती सुचिता कुमारी, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पूर्वी चंपारण ने अपने पत्र दिनांकित 21.9.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता इस तथ्य से व्यथित है कि उसने शिकायतकर्ता की पत्नी, श्रीमती रेणु सिंह को आंगनबाड़ी केंद्र सं. 45, पहाड़पुर, चंपारण में अनियमितता पाये जाने के कारणवश आंगनवाड़ी सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। इस कृत्य के बाद श्री संजय सिंह ने पत्रकारिता की आड़ में उनके खिलाफ निराधार और भ्रामक खबरें छापनी शुरू कर दीं। उन्होंने परिषद से तथ्यों पर विचार करने और मामले में उनके साथ न्याय करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र दिनांकित 16.11.2019

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 16.11.2019 द्वारा अपने वक्तव्य को दोहराते हुए बताया कि श्रीमती सुचिता कुमारी, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, कई भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रही हैं। उसने श्री अशोक कुमार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम भारत के लेटर हेड का इस्तेमाल किया और अधिकारियों को गुमराह किया। उन्होंने आगे कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 45 के खिलाफ, आरोप साबित नहीं हो सकें। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक ओर आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 46 में कार्यरत, श्रीमती शाइका नईमा खातून की उपस्थिति पत्रिका (3 वर्ष) पर श्रीमती सुचिता कुमारी के हस्ताक्षर थे, वहीं दूसरी ओर रिश्वत न मिलने पर उन्होंने श्रीमती रेनू सिंह को तीन साल की अवधि के लिए गैरहाजिर दिखाया एवं उन्हें बर्खास्त करने की संस्तुति की। यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं विशेष सचिव, बिहार सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन

जिला कार्यक्रम अधिकारी और विशेष सचिव, बिहार सरकार ने क्रमशः ईमेल दिनांकित 18.12.2020 और पत्र दिनांकित 21.1.2020 द्वारा यह प्रस्तुत किया है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट संख्या 40/गो॰ के अनुसरण में, श्रीमती सुचिता कुमारी, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना को मेहसी परियोजना में स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा अवर श्रेणी लिपिक, श्री हसनैन अंसारी को निलम्बित कर दिया गया।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र दिनांकित 13.4.2021

आगे, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र/ईमेल दिनांकित 13.04.2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अन्वेषण विभाग, पटना द्वारा पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को भेजे गए पत्र संख्या 526 दिनांकित 05.06.2018 की प्रति प्रदान की है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्री संजय सिंह (शिकायतकर्ता) के खिलाफ थाना पहाड़पुर में आईपीसी की धारा 341/353/504/506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर)(एस) के तहत मामला

संख्या 47/2018 दिनांकित 22.02.2018, जांच के दौरान सही पाया गया और जांच अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने के निदेश दिये गए। आगे यह भी बताया गया कि जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में यह सूचित किया कि चूंकि चार्जशीट दायर नहीं की जा सकी, इसलिए अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा दर्ज़ उत्तर

पुलिस महानिदेशक उस दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस दिन पत्र संख्या 526 दिनांकित 5.6.2018 पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था। पुलिस महानिदेशक पुलिस स्टेशन में उक्त पत्र प्राप्त होने की तारीख को लेकर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.8.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया।

शिकायतकर्ता, श्री संजय कुमार सिंह, ब्यूरो प्रमुख, प्रातः कमल उपस्थित नहीं थे और न ही उनका प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा किया गया। हालांकि, उन्होंने कुछ संकलित कागज़-पत्र भेजे हैं, जिसमें प्रेस परिषद का पूर्व आदेश दिनांकित 22.08.2019 शामिल है। बिहार राज्य की तरफ से अधिवक्ता, श्री अज़मत एच. अमानुल्लाह और देवांश मल्होत्रा, श्री राजेश कुमार, आईपीएस, डीआईजी, मानवाधिकार के साथ पेश हुए।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र और श्रीमती सुचिता कुमारी के उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती सुचिता कुमारी और शिकायतकर्ता की पत्नी, श्रीमती रेणु सिंह, जो आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 45 में आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत थीं, के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी है। श्रीमती सुचिता कुमारी महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, पहाड़पुर, मोतिहारी, बिहार के पद पर कार्यरत थीं। जबकि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि श्रीमती सुचिता कुमारी दिनांक 02.04.14 से 01.06.14 तक डयूटी से गैरहाजिर रहने के बावजूद भी उपस्थिति पंजिका में इसी कार्यालय में तैनात सीडीपीओ, श्रीमती मीरा कुमारी के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज करायी गयी, श्रीमती सुचिता कुमारी का मामला यह है कि शिकायतकर्ता की पत्नी, श्रीमती रेणु सिंह आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 45, जहां वह काम कर रही थीं, में कुछ अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार थीं। सुचिता कुमारी ने उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा की, इसलिए उनके अनुसार शिकायतकर्ता उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 20.02.18 को श्रीमती सुचिता कुमारी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने का मामला दर्ज़ किया है। श्रीमती सुचिता कुमारी का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने आरटीपीएस के सामने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले को सही पाया है। पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अन्वेषण विभाग, पटना द्वारा भेजा गया पत्र दिनांकित 05.06.18 प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि श्रीमती सुचिता कुमारी द्वारा की गई शिकायत सत्य पाई गई है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम, भारत के अधिकार कार्यकर्ता, श्री अशोक कुमार ने अपने पत्र दिनांकित 11.9.2019 में श्रीमती सुचिता कुमारी का समर्थन किया है। इस पर, शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्रीमती सुचिता कुमारी ने श्री अशोक कुमार के खाली लेटरहेड ले लिए हैं और उनका दुरुपयोग किया है।

इस प्रकार, समिति को यह प्रतीत होता है कि यह आंगनवाड़ी क्षेत्र में कार्यरत दो महिलाओं के बीच दुश्मनी से उत्पन्न विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत विवाद है। इसमें पत्रकारिता ड्यूटी का कोई उल्लंघन नहीं है, जिसका आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़े। इसके अलावा, श्रीमती सुचिता कुमारी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज़ मामला न्यायाधीन है। अतः, जांच समिति का मानना है कि शिकायत को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेस परिषद की ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। जांच समिति तदनुसार परिषद को परामर्श देती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

*****

स्वप्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.9.2022

फा.सं. 13/74/स्वप्रेरणा/19–20–पीसीआई

2. **चंडीगढ़ में पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में स्वत: संज्ञान।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद को पत्रकारों और फोटो पत्रकारों पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा वॉटर कैनन के इस्तेमाल के बारे में दिनांक 3.7.2019 की रिपोर्ट की खबरें मिली हैं। बताया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस के श्री जसबीर सिंह मल्ली और पंजाब केसरी के श्री संजय कुर्ल, लोक इंसाफ पार्टी के विरोध मार्च (Protest march) के दौरान पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए वाटर कैनन के कारण

गंभीर रूप से घायल हो गए। यह बताया गया कि पुलिस ने जानबूझकर वाटर कैनन की दिशा बदलकर विरोध प्रदर्शन, जिसका आह्वान विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा किया गया था, को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों की ओर कर दी, ताकि पुलिस कार्रवाई को जनता के लिए प्रसारित न किया जा सके।

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव, सचिव, गृह, (पुलिस) विभाग, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ को 28.8.2019 को उत्तर में अपना वक्तव्य देने के लिए नोटिस जारी किए गए।

<u>पुलिस महानिदेशक, चंडीगढ़ का उत्तर</u>

प्रधान सचिव गृह, चंडीगढ़ प्रशासन के अधीक्षक (पुलिस) ने पत्र दिनांकित 19.9.2019 के माध्यम से, पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की दिनांक 4.9.2019 की रिपोर्ट अग्रेषित की है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस मामले की जांच एसडीपीओ/सेंट्रल द्वारा की गई थी, जिन्होंने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस ने कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, कि प्रेस किसी भी प्रकार के विरोध का प्रसारण न कर सके। आगे प्रस्तुत किया गया है कि विरोध के दिन, विरोध को कवर करने वाले पत्रकार, पंजाब एमएलए हॉस्टल के गेट से सटी लगभग "5-6" फुट ऊंची दीवार पर खड़े थे। परिस्थितियों के अनुसार, ड्यूटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, श्री तिलक राज, हरियाणा सिविल सर्विसेज के निदेश पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हालांकि वाटर कैनन के इस्तेमाल से पहले सभी पत्रकारों को इस संबंध में आगाह करते हुए अवगत करा दिया गया था।

प्रतिवादी ने बताया कि पुलिस ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कमान अधिकारी के निदेशों के अनुसरण में, परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि वाटर कैनन का उपयोग करने की अनुमति और विरोध के दिन के संबंध में विशेष रिपोर्ट भी उनके कार्यालय संख्या डी-123/यूटी/आरडी/एसएसपी दिनांकित 3.7.2019 के माध्यम से पंजाब विधानसभा के माननीय स्पीकर के कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि पुलिस, नागरिकों के साथ-साथ पत्रकारों का भी ध्यान रखने के लिए बाध्य है और उस दिन पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का पुलिस का कोई इरादा नहीं था।

दिनांक 20-01-2020 को यह मामला सुनवाई हेतु जांच समिति के समक्ष आया, जिसमें समिति ने रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर ध्यान दिया और ड्यूटी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, श्री तिलक राज को नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

<u>श्री तिलक राज, अपर आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ के अधिवक्ता, श्री शुभम भल्ला द्वारा दर्ज़ उत्तर</u>

श्री तिलक राज, अपर आयुक्त, नगर निगम चंडीगढ़ के अधिवक्ता, श्री शुभम भल्ला के

उत्तर दिनांक 4.12.2020, जोकि परिषद में दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त हुआ, में विवेचित किया गया कि प्रतिवादी, श्री तिलक राज ने स्पष्ट रूप से इनकार किया था कि पत्रकारों पर वाटर कैनन का प्रयोग करने जैसी कोई अनुमति पुलिस अधिकारियों को दी गई थी। वास्तव में, वॉटर कैनन के उपयोग की अनुमति संबंधित पुलिस अधिकारियों को एक बहुत ही अस्थिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दी गई थी, जहां प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि 3.7.2019 को पंजाब की लोक इंसाफ पार्टी ने अपने विधान सभा सदस्य (विधायक), श्री सिमरनजीत सिंह बैंस के नेतृत्व में राजस्थान के साथ जल आपूर्ति संबंधी मुद्दे पर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध की योजना बनाई। विरोध के दौरान 400-500 लोग, जो विरोध का हिस्सा थे, सेक्टर 4 चंडीगढ़ में विधायक छात्रावास में इकट्ठे हुए। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास की ओर कूच करने का फैसला किया। चूंकि जिस क्षेत्र में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे, वह चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के करीब था जो एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है, प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में पुलिस को तैनात किया गया और उन्हें सूचित किया गया था कि 4/5 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपना ज्ञापन, पंजाब के मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. को जमा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, वे अनुरोध पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने जबरन बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की और सीएम पंजाब हाउस सेक्टर 2, चंडीगढ़ की ओर बढ़ गए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पत्रकारों को वाटर कैनन के इस्तेमाल के बारे में पहले से चेतावनी दी गई थी, क्योंकि वे 5-6 फुट ऊंची दीवारों के ऊपर खड़े थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पत्रकारों के गलत जगह खड़े होने के कारण चोट लगी होगी। उन्होंने परिषद से श्री तिलक राज को वर्तमान जांच से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति ने 18.02.2021 को हुई अपनी बैठक में पुलिस महानिदेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, श्री तिलक राज द्वारा लिए गए स्टैंड में विसंगतियां पाई। इस प्रकार यह समीचीन समझा गया कि मामले की जांच प्रधान सचिव गृह, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा की जाए।

<u>अधीक्षक (पुलिस), चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दर्ज़ रिपोर्ट</u>

प्रधान सचिव गृह, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए अधीक्षक (पुलिस) ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 3.5.2021 में प्रस्तुत किया है कि मामले की जांच पुलिस विभाग, केंद्रीय शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी और घटना की वीडियो फुटेज में ये देखा गया कि वाटर कैनन पत्रकारों को लक्षित करके नहीं, बल्कि केवल प्रदर्शनकारियों को लक्षित करके चलाए गए थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस संबंध में अपर आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत हलफनामा और साथ ही पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के दिनांक 4.9.2019 के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, वाटर कैनन पत्रकारों को लक्षित करके नहीं चलाये गए थे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.8.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। इंस्पेक्टर श्री सुखद्वीप सिंह, पुलिस महानिदेशक, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश हुए और श्री शुभम भल्ला, अधिवक्ता गृह विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन और श्री तिलक राज, एचसीएस की ओर से पेश हुए।

प्रतिवादियों द्वारा दर्ज़ उत्तरों से, यह स्पष्ट है कि वाटर कैनन का उपयोग करने की अनुमति प्रदर्शनकारियों को, न कि पत्रकारों को तितर-बितर करने के लिए दी गई थी। यह अनुमति, पुलिस की खतरे की धारणा पर आधारित थी। विरोध प्रदर्शन उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा की विधानसभाएं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास भी वहीं है। प्रतिवादियों यानी पुलिस द्वारा दर्ज़ उत्तरों में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को बताया गया था कि केवल 4 से 5 व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिलने जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बैरियर्स को हटाना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि दंगे में वाटर कैनन के इस्तेमाल के कारण कुछ पत्रकार भी घायल हो गए। रिपोर्टिंग करते समय किसी पत्रकार को लगी चोट चिंता का विषय है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहाँ जानबूझकर पत्रकारों को पुलिस द्वारा निशाना बनाया गया था। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए। वाटर कैनन का प्रयोग करते समय पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। मामले की परिस्थितियों में, समिति का मानना है कि चंडीगढ़ प्रशासन को दो घायल पत्रकारों, इंडियन एक्सप्रेस के श्री जसबीर सिंह मल्ली, और पंजाब केसरी के श्री संजय कुर्ल, दोनों में से हर एक को सद्भावना में 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निदेश देना उचित होगा। चार सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान किया जाए। इस आदेश को भविष्य में मिसाल के तौर पर नहीं माना जा सकता। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद को परामर्श देती है कि वह स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, पूर्वोक्त निदेश के साथ स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करने का निर्णय लेती है।

*****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.9.2022

फा.सं. 13/185/स्वप्रेरणा/19–20–पीसीआई

3. **श्री अनिल सिन्हा, फोटो-पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा एवं श्री संजीव वर्मा, फोटो-पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स पर दिल्ली पुलिस द्वारा हमले के संबंध में स्वत: संज्ञान।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य ने अपनी ईमेल दिनांकित 16.12.2019 के माध्यम से, समाचार कवरेज के दौरान फोटो-पत्रकारों पर कथित हमले की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि श्री एम.एस. रंधावा, पुलिस उपायुक्त और अन्य पुलिसकर्मियों ने श्री अनिल सिन्हा, फोटो-पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा और श्री संजीव वर्मा, फोटो-पत्रकार, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ उस समय हमला, गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया, जब वे दिनांक 12.12.2019 को, राजघाट के पास सुश्री स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग के समर्थन में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि फोटो-पत्रकारों को धमकाया गया, उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज की गई और घटनास्थल से जबरन हटा दिया गया।

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, दिनांक 26.12.2019 को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी दिल्ली, हौज खास, नई दिल्ली को जारी किए गए।

यह मामला 16.12.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया। पुलिस उपायुक्त (मध्य) ने 15.12.2020 की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी भी मीडियाकर्मी को धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। जांच समिति ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और उनकी राय थी कि संबन्धित पत्रकारों के बयान दर्ज नहीं किये गये थे। तदनुसार, जांच समिति ने उपायुक्त को फिर से जांच करने का निदेश दिया, जिसमें पत्रकारों के बयान दर्ज किए जायें और चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

उक्त निदेशों के साथ, जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया।

यह मामला 23.2.2021 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया। पुलिस उपायुक्त ने 22 फरवरी, 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच समिति ने संबंधित पत्रकारों, श्री अनिल सिन्हा और श्री संजीव वर्मा को उनकी टिप्पणियों के लिए इस रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करने का निदेश दिया। उन्हें अगली तिथि पर जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

पुलिस उप-आयुक्त द्वारा दायर की गई रिपोर्ट

श्री जसमीत सिंह, आई.पी.एस., पुलिस उप-आयुक्त, मध्य जिला, दिल्ली ने रिपोर्ट दिनांकित 22.2.2021 दायर की है, जिसमें कहा गया है कि श्री अनिल सिन्हा, फोटो पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा और श्री संजीव वर्मा, फोटो-पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के बयानों की जांच की गई है और उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। उनके बयान इस प्रकार हैं:

1. श्री अनिल सिन्हा (राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हुए) ने बताया कि 12.12.2019 को, वे अन्य पत्रकारों के साथ दिल्ली महिला आयोग के पक्ष में विरोध मार्च को कवर कर रहे थे। जब प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए और पुलिसकर्मी उनसे उलझ गए तो वे भीड़ में चले गए और पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीछे रहने को कहा। जब अनिल सिन्हा ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें फोटो खींचनी हैं। इस पर फोटोग्राफरों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, श्री रंधावा भी मौके पर पहुंचे और फोटोग्राफरों ने उन्हें घटना के बारे में बताया। श्री रंधावा ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ़ किया कि प्रदर्शनकारी काफी आक्रामक हो रहे हैं और किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उन्हें इस संबंध में कुछ गलतफहमी हो रही थी, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, अब उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है और वह इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।

2. श्री संजीव वर्मा (हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े हुए) ने कहा कि 12.12.2019 को पुलिस अधिकारियों ने एक्सप्रेस बिल्डिंग के पास कुछ फोटोग्राफरों के साथ दुर्व्यवहार किया और वह भी वहां मौजूद थे लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज नहीं की।

प्रतिवादी ने कहा कि जांच के दौरान शिकायत में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी। मीडियाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही उन्हें बैरिकेड्स के करीब आने से रोका गया और सुरक्षित दूरी से विरोध को कवर करने के लिए कहा गया।

संयुक्त पुलिस आयुक्त, सेंट्रल रेंज, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट

श्री एन.एस. बुंदेला, आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त, सेंट्रल रेंज, दिल्ली ने अपनी अदिनांकित रिपोर्ट में श्री जसमीत सिंह, आईपीएस, पुलिस उप-आयुक्त, मध्य जिला, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दोहराया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.8.2022 को नई दिल्ली में अंतिम सुनवाई हेतु जांच समिति के समक्ष आया।

प्रतिवादी की ओर से श्री गुरसेवक सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, दरियागंज (मध्य जिला), दिल्ली उपस्थित हुए।

भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य ने अपने ईमेल दिनांकित 16.12.2019 द्वारा, समाचार कवरेज के दौरान फोटो पत्रकारों पर हो रहे कथित हमले की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि जब वे 12.12.2019 को राजघाट के पास महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, तब श्री एम.एस. रंधावा, पुलिस उपायुक्त और अन्य पुलिसकर्मियों ने श्री अनिल सिन्हा, फोटो-पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा और श्री संजीव वर्मा, फोटो-पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर हमला किया, उन्हें गाली दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद के निदेश के अनुसरण में जांच की गई थी। रिकॉर्ड में दो रिपोर्टें हैं, एक श्री जसमीत सिंह, आई.पी.एस., डीसीपी (मध्य जिला) दिल्ली द्वारा दिनांक 22.02.2021 को अग्रेषित की गई और दूसरी श्री संजय भाटिया, आई.पी.एस., डीसीपी, सेंट्रल रेंज दिल्ली द्वारा अग्रेषित की गई। श्री जसमीत सिंह की रिपोर्ट इंगित करती है कि श्री अनिल सिन्हा और श्री संजीव वर्मा के बयान दर्ज किए गए थे। श्री संजीव वर्मा ने अपने बयान दिनांकित 12.12.2019 में कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जहाँ तक श्री अनिल सिन्हा के बयान दिनांकित 12.12.2019 का संबंध है, उन्होंने बताया कि फोटोग्राफरों और पुलिसकर्मियों के बीच कुछ बहस हुई थी और उस समय डीसीपी, मध्य जिला, श्री एम एस रंधावा वहां पहुंचे और फोटोग्राफरों ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। श्री रंधावा ने पुलिसकर्मियों को जानकारी दी कि प्रदर्शनकारी काफी आक्रामक हो रहे हैं और बोला कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। श्री अनिल सिंह ने आगे कहा कि उन्हें इस संबंध में कुछ गलतफहमी हो गई थी और इसलिए उन्होंने शिकायत की। अब उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है और वह इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हालांकि यह रिपोर्ट श्री अनिल सिन्हा और श्री संजीव वर्मा को भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन परिस्थितियों में समिति का मानना है कि श्री जसमीत सिंह की रिपोर्ट को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि संबंधित पत्रकारों को कोई शिकायत नहीं है। इसलिए, समिति परिषद को परामर्श देती है कि वह स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करने का निर्णय लेती है।

*****

भ्रामक विज्ञापन

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.9.2022

फा.सं. 14 / 304 / 17–18–पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री अमरनाथ चक्रवर्ती, सचिव, संदेश, पटना (बिहार)।	संपादक, हिंदुस्तान, बुद्ध मार्ग, पटना, बिहार।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 13.09.2017 को श्री अमरनाथ चक्रवर्ती, सचिव, संदेश, पटना, बिहार द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान, पटना, बिहार के खिलाफ दिनांक 11.09.2017, 12.09.2017, 13.11.2017 और 20.11.2017 के अंक में कथित रूप से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नाबालिगों या किशोरों को विचलित करने वाले आपत्तिजनक विज्ञापनों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मोबाइल नंबरों पर नौकरी के अवसर संबंधी प्रस्ताव देने वाले ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से, नौकरी पाने की चाह/ आकांक्षा रखने वालों को, निहित स्वार्थ हेतु, मूर्ख बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान, सेक्स-संबंधी समस्या के इलाज के लिए आश्वस्त करने वाले विज्ञापन भी नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने परिषद से प्रार्थना की है कि जनहित में, ऐसी अशालीनता के खिलाफ निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

शिकायतकर्ता ने नोटिस दिनांकित 22.11.2017 द्वारा प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित विज्ञापनों की ओर आकर्षित किया परंतु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

प्रतिवादी को लिखित वक्तव्य दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.2018 जारी किया गया था, परंतु 17.5.2018 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 09.07.2019 को यह मामला पटना में जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया। प्रतिवादी ने ना तो कोई जवाब दाखिल किया और न ही जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात्, जांच समिति ने प्रतिवादी को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भेजने का

निदेश दिया और मामले को स्थगित कर दिया गया।

यह मामला 21.1.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु आया। जांच समिति ने टिप्पणी की, कि "परिषद के संज्ञान में आया है कि देश के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित, प्रतिवादी समाचारपत्र, 'हिंदुस्तान' द्वारा विधि और पत्रकारिता के आचरण के मानकों का बार-बार उल्लंघन और अवज्ञा की जा रही है। परिषद ने कई मौकों पर ऐसे विज्ञापनों के बारे में टिप्पणियां की हैं और वास्तव में समाचारपत्र की परिनिंदा की है। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने यह कार्रवाई बंद नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच समिति का मत है कि पटना से प्रकाशित, हिन्दुस्तान के संपादक और उक्त समाचार पत्र के मुख्य संपादक को व्यक्तिगत रूप से जांच समिति के सामने पेश होने और मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए।

उक्त निदेशों के साथ, जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया।"

शिकायतकर्ता ने ईमेल दिनांकित 02.08.2022 के माध्यम से बताया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान द्वारा अभी भी अपने विभिन्न अंकों में आपत्तिजनक/भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं।

<u>हिन्दुस्तान, पटना द्वारा दायर किया गया लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 23.08.2022 जोकि कार्यालय में दिनांक 24.08.2022 को प्राप्त हुआ, के जरिये बताया है कि उसने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से उसके असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत उचित रिट जारी करने के लिए संपर्क किया है, जिसमें मामला संख्या 29/एसएम/2020-ए और 278/एसएम/2020-ए में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.01.2021 को रद्द करने के संबंध में उत्प्रेषण रिट (writ of certiorari) और/या आवश्यक निदेश देना भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांकित 03.03.2021 के द्वारा, प्रतिवादी के बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) और 19 (1) (जी) के तहत क्रमशः भाषण और व्यापार की स्वतंत्रता शामिल है, के अनुसार रोक लगा दी थी।

प्रतिवादी ने, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, कहा कि विज्ञापन, भारतीय संविधान के तहत परिकल्पित विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने कहा कि पहले तो उक्त विज्ञापन संबंधित विज्ञापनदाताओं से प्राप्त हुए हैं, बाद में कथित विज्ञापनों का समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि "नौकरी" प्रस्ताव संबंधी विज्ञापन, हालांकि, किसी भी तरह से स्पष्ट प्रकृति के नहीं हैं और किसी भी प्रकार से ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जिससे पाठकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

उन्होंने कहा है कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित उक्त विज्ञापन संबंधित विज्ञापनदाताओं द्वारा दिये गए रिलीज़ ऑर्डर पर आधारित थे।

प्रतिवादी ने आगे बताया कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित, दिनांक 11.07.2017 और 12.09.2017 के विज्ञापन, तत्काल शक्ति और यौवन आदि प्राप्त करने हेतु आयुर्वेदिक दवा की उपलब्धता के बारे में सामान्य रूप से प्रचार करने/जागरूकता से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन विशुद्ध रूप से सूचना और प्रचार के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए। उन्होंने बताया कि वे किसी भी तरह से किशोरों और नाबालिगों की वासना को भड़काने या उनकी सोच को प्रभावित करने की मंशा नहीं रखते हैं, जैसा कि देश के विभिन्न दांडिक प्रावधानों में निहित है, और इस तरह उन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत को ख़ारिज करने का अनुरोध किया है।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला 26.8.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई हेतु आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री गोविंद विजय, प्रतीक मिश्रा और अरुण पाठक उपस्थित हुए।

श्री अमरनाथ चक्रवर्ती, सचिव, संदेश, पटना, बिहार ने अपने दावे के प्रमाण में दिनांक 13.09.2017 को संपादक, हिन्दुस्तान, पटना, बिहार के खिलाफ दिनांक 11.09.17, 12.09.17, 13.11.17, 20.11. 17 और 25.11.17 के अंको में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर शिकायत दर्ज़ की है।

यह बताया गया है कि इन विज्ञापनों का किशोरों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वे सही मार्ग से भटक सकते हैं। ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। आगे यह कहा गया है कि कुछ विज्ञापन नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लाभ के लिए जारी किए जाते हैं। निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोबाइल नंबर देकर ही विज्ञापनों के जरिए नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है। इन विज्ञापनदाताओं के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी का प्रस्ताव देना संभव नहीं है। यह भी कहा गया है कि विज्ञापनदाताओं द्वारा समाचारपत्रों को अपने विज्ञापन, अपने लेटरहेड पर भेजने चाहिए और पहचान के लिए उन्हें अपने पैन कार्ड का विवरण देना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को धोखा न हो। ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए।

प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.18 जारी किया गया। अनुस्मारक दिनांकित 17.05.18 जारी किया गया। तथापि, नोटिस सेवित किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा कोई लिखित वक्तव्य दाखिल किया गया। समिति ने

09.07.2019 को इसे नोट किया और प्रतिवादी संपादक, हिंदुस्तान, पटना को समन करने का आदेश दिया, उसके बाद 01.01.2020 को संपादक, हिंदुस्तान, पटना को अगली तारीख पर जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया। मामला स्थगित कर दिया गया। दिनांक 21.01.2020 को, समिति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"परिषद ने गौर किया है कि देश के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित, प्रतिवादी समाचारपत्र, 'हिंदुस्तान' द्वारा विधि और पत्रकारिता के आचरण के मानकों का बार-बार उल्लंघन और अवज्ञा की जा रही है। समिति ने तब टिप्पणी की, कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच समिति की राय है कि पटना से प्रकाशित, हिंदुस्तान के संपादक और उक्त समाचारपत्र के मुख्य संपादक को जांच समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने और मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए। इन टिप्पणियों के साथ, जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया।"

इन टिप्पणियों के बावजूद, संपादक और मुख्य संपादक, समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी ने ईमेल दिनांकित 01.04.21 के माध्यम से, मामले में उत्तर दाखिल करने हेतु, परिषद से शिकायत की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके उत्तर में, परिषद ने शिकायत की एक प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 01.04.21 को सौंप दी थी।

हालाँकि, शिकायत की प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 01.04.21 को दे दी गई थी, इसका उत्तर, परिषद में 24.08.2022 को दायर किया गया है और इसे आज, अर्थात, 26.08.2022 को मामले की सुनवाई के दौरान समिति को सौंपा जा रहा है। समिति ने उत्तर का अवलोकन किया और इसमें ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया जा सके। समिति ने हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों का अवलोकन किया। कुछ विज्ञापनों में लोगों की सेक्स संबंधी समस्याओं को हल करने का दावा किया गया है। वे निस्संदेह अशिष्ट हैं। इसके अलावा, बड़े-बड़े दावे किए गए हैं कि यौन समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इस तरह के विज्ञापन न केवल अश्लील होते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलता पैदा कर सकते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा सुझायी गयी दवाएं लेते हैं। दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन बड़े बड़े दावों को करने वाले व्यक्तियों के नाम और शैक्षिक योग्यता का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि ये व्यक्ति कहां से काम कर रहे हैं; केवल मोबाइल नंबर दिए गए हैं। यहां पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। विज्ञापन शीर्षक के तहत मानक 2(v) निम्नानुसार पठनीय है:

"समाचारपत्र ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित न करें, जिसमें ऐसा कुछ हो, जो अवैध या गैरकानूनी हो या सुरुचि अथवा पत्रकारिता की आचारनीति अथवा औचित्य के विरुद्ध हो।"

विज्ञापन शीर्षक के अंतर्गत मानक 2(x) निम्नानुसार है:

"संपादकों को, विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अंतिम निर्णय में, अपने अधिकार पर ज़ोर देना चाहिए विशेषत: ऐसे विज्ञापनों के संबंध में, जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच की सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रहे हों।"

शीर्षक, अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए के तहत मानक 28(i) निम्नानुसार पठनीय है:

"समाचारपत्र / पत्रकार ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील, अशिष्ट अथवा जन सुरुचि के प्रतिकूल हो।"

कुछ विज्ञापनों में नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया है, वे भी समान रूप से आपत्तिजनक हैं। विदेश जैसे कनाडा, स्विटज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के प्रकार, संगठन और कंपनी, जिसमें नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव है और जो इसका प्रस्ताव दे रहा है, का कोई विवरण दिए बिना नौकरियों का प्रस्ताव दिया जाता है। मोबाइल नंबर के अलावा कोई विवरण नहीं दिया जाता। ऐसे स्थानों पर नौकरी की तलाश में जाने वाले लोगों की दुर्दशा जगजाहिर है। इस संबंध में, फिर से पत्रकारिता के आचरण के मानकों का रुख करना लाभप्रद होगा। शीर्षक विज्ञापन के तहत मानक 2(xxvii) निम्नानुसार पठनीय है:

"नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को देते हुए, किसी भी अन्य विवरण, जैसे कि चयन किए जाने कि स्थिति में भावी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, के बिना और नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाए क्योंकि यह "मानव तस्करी" को सरल बना सकता है जिससे कई असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार बन जाएंगे।

ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छुक समाचारपत्रों को, ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौंपे जाने वाले काम की प्रकृति को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले।"

**"अस्वीकरण" का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं करेगा।*

इस संबंध में, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020 का उल्लेख करना भी आवश्यक है। मानक 12 (viii), शीर्षक संपादक का विवेक के तहत निम्नानुसार पठनीय है:

"नौकरी/रोजगार संबंधी विज्ञापन को अपर्याप्त विवरण के साथ प्रकाशित करते समय संपादकों को समाज के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे मानव तस्करी सरलतापूर्वक की जा सकती है और इसे समुचित जांच के बाद ही प्रकाशित किया जाए।"

समिति का मानना है कि इन विज्ञापनों की जांच करने हेतु एक आंतरिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि विज्ञापनों की सामग्री जनता के लिए भ्रामक न बन जाए।

इन परिस्थितियों में, समिति का मानना है कि इस तरह के विज्ञापनों को प्रकाशित करना पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन है। यह पत्रकारिता के उच्च स्तर को कम करता है। यह पत्रकारिता के आचरण के मानकों का अनादर दर्शाता है। इसलिए, जांच समिति परिषद को समाचारपत्र, 'हिंदुस्तान' की कड़ी **परिनिंदा** करने का परामर्श देती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है तथा उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

****

तिमाही के दौरान प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची

क्र. सं.	विषय	निर्णय की तिथि	निर्णय
1.	श्री जगदीश पुरोहित, बॉम्बे की संपादक, संतुलित समाचार के खिलाफ अपील। 27/68/22-23	30/08/2022	खारिज
2.	संपादक लोकशाही से एस डी एम चंद्रपुर के विरुद्ध प्राप्त पुनर्विचार याचिका। 27/67/21-22	30/08/2022	खारिज
3.	संपादक, कोवई सारथी की अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला राजस्व अधिकारी, कोयंबटूर के विरुद्ध अपील। 27/64/21-22	30/08/2022	स्थगित
4	श्री रविराज ऐवाले, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, दैनिक अप्रतिम, कोल्हापुर की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर के विरुद्ध अपील। 27/66/21-22	30/08/2022	स्थगित
5	संपादक, रतलाम दर्शन, मध्य प्रदेश की जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम, मध्य प्रदेश के विरुद्ध अपील। 27/56/19-20	30/08/2022	खारिज
6	श्री शरद औदिच्य, मुद्रक/प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस, सतना, एमपी की अपील। 27/69/19-20	30/08/2022	स्थगित
7	श्री धरमवीर कुशवाहा, स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक, राजधानी मीडिया, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की अपील। 27/70/19-20	30/08/2022	अपास्त
8.	घोषणा को अस्वीकार करने और पत्रिका/समाचार पत्रों को प्रकाशित/मुद्रित करने की अनुमति के लिए, श्री आर. राघवन, सेल्वापुरम, कोयंबटूर की अपील। 27/68/22-23	23/09/2022	समाप्त

9.	श्री रविराज ऐवले, संपादक, मुद्रक, दैनिक अप्रतिम, कोल्हापुर की अपर जिला मजिस्ट्रेट कोल्हापुर के विरुद्ध अपील। 27/64/21-22	23/09/2022	समाप्त
10.	श्री शरद औदिच्य, मुद्रक/प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस की जिला कलक्टर, सतना, म.प्र. के विरुद्ध अपील। 27/69/21-22	23/09/2022	स्थगित

प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेश

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/68/22-23-पीआरएबी- पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 1

श्री जगदीश पुरोहित, बॉम्बे की संपादक, संतुलित समाचार के खिलाफ अपील

कोरम : न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :

श्री जगदीश पी. पुरोहित वेब मीट के माध्यम से

श्री बबलू सिद्दीकी, कार्यवाहक संपादक, संतुलित समाचार

आदेश
दिनांकित 30 अगस्त, 2022

अपीलकर्ता श्री जगदीश पी. पुरोहित का मामला यह है कि संतुलित समाचार समाचार पत्र के संपादक प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (पीआरबी अधिनियम, 1867) का उल्लंघन करके समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं और उन्होंने पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 13 और 15 के साथ पठित धारा 3, 4, 5, 8, 8 (ए) और 8 (बी) का उल्लंघन किया। उनका मामला यह है कि उक्त समाचारपत्र के मुद्रक, संपादक और प्रकाशक का नाम मो. इरफ़ान अहमद फ़र्नीचरवाला है जबकि अखबार की प्रिंट लाइन में इरफ़ान फ़र्नीचरवाला लिखा है, यह बड़े पैमाने पर जनता को धोखा देने के निकृष्ट इरादे से किया गया है।

विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता की शिकायत को अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में जनता को धोखा देने का कोई दुर्भावनापूर्ण

इरादा है। इस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील पीआरबी अधिनियम की धारा 8(ग) के तहत दायर की गई है। श्री जगदीश पी. पुरोहित को हमने विस्तार से सुना। हमने प्रतिवादी श्री बबलू सिद्दीकी, कार्यवाहक संपादक, संतुलित समाचार को भी सुना। पीआरबी अधिनियम की धारा 8 (बी) के तहत, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित आधारों पर घोषणा रद्द कर सकता है:-

(i) समाचार पत्र, जिसके संबंध में घोषणा की गई है, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में प्रकाशित किया जा रहा है; या

(ii) घोषणापत्र में उल्लिखित समाचार पत्र का शीर्षक उसी भाषा में या उसी राज्य में प्रकाशित किसी अन्य समाचार पत्र के समान या उससे मिलता-जुलता है; या

(iii) मुद्रक या प्रकाशक, ऐसी घोषणा में उल्लिखित समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है; या

(iv) घोषणा झूठे अभ्यावेदन पर या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने पर या आवधिक कार्य के संबंध में की गई थी जो समाचार पत्र नहीं है;

इस तरह रद्द किए जाने से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यहां पर यह मामला नहीं है। यदि व्यक्ति धारा 6 के तहत एक घोषणा को प्रमाणित करने से इनकार करने संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित है, तो भी धारा 8 (ग) के तहत इस बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकती है। यहां ऐसा नहीं है।

अतः हमारी राय में अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है, अपील को जारी करने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

ह0/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/67/21-22-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 2

संपादक, लोकशाही से एस डी एम चन्द्रपुर के विरुद्ध प्राप्त पुनर्विचार याचिका।

कोरम : न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :

श्री रवींद्र एस. बाल्कि, संपादक, लोकशाही
श्री डी. एन. गोडशालवार, नायब तहसीलदार, आरएनआई
श्री हितेश रावत, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 30 अगस्त, 2022

इस पुनर्विचार याचिका में बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.12.2008 पर पुनर्विचार की मांग की गई। पुनर्विचार याचिकादाता मूल अपीलकर्ता, श्री एस एस बाल्कि के पुत्र हैं। पुनर्विचार याचिकादाता के अनुसार समाचारपत्र "लोकशाही" इसी नाम से पंजीकृत था और उक्त समाचारपत्र युगों से प्रकाशित हो रहा था। परंतु, आरएनआई से अचानक एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अपीलकर्ता को "लोकशाही" शीर्षक के साथ कुछ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर पेपर का शीर्षक बदलने के लिए कहा गया क्योंकि वही शीर्षक श्रीमती शांता वानी के नाम पर पहले से ही पंजीकृत है।

अपीलकर्ता बोर्ड के समक्ष गए और बोर्ड ने अपील का निपटारा करते हुए आदेश दिनांकित 04.12.2008 पारित किया, जिसके आदेश पर पुनर्विचार किया जाना है। अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह था, चूँकि श्रीमती शांता वानी की "लोकशाही" आरएनआई से पंजीकृत नहीं थी, इसलिए उनके प्रकाशन को कानूनी दर्जा प्राप्त था। आदेश दिनांकित 04.12.2008 दर्शाता है कि शांता वानी ने 1955 में प्रमाणित अपने समाचार पत्र की घोषणा की प्रति एवं पत्र संख्या V(6)/56-आरएनआई के माध्यम से, समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा मुख्य सचिव, बॉम्बे सरकार को अग्रेषित, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 06.08.1956 की एक प्रति प्रस्तुत की, जिससे यह पुष्टि हुई कि यथासंशोधित पीआरबी अधिनियम मौजूदा घोषणाओं को अमान्य नहीं करता है। बोर्ड ने टिप्पणी की, कि इसलिए, निश्चित रूप से, 1956 की प्रभावी तिथि से पहले प्रकाशित समाचार पत्र को स्वतः ही पंजीकृत माना जाएगा। इसलिए "लोकशाही" जलगांव की पंजीकरण स्थिति अधिकृत और कानूनी थी। श्रीमती शांता वानी ने बोर्ड के सामने इस बात की भी पुष्टि की, कि उनका पेपर नियमित रूप से आरएनआई के पास वार्षिक विवरणी दाखिल कर रहा था।

आरएनआई ने अपनी ओर से स्वीकार किया कि रिकॉर्ड में केवल "लोकशाही", चंद्रपुर का पंजीकरण दस्तावेज है। इन परिस्थितियों में बोर्ड ने टिप्पणी की, कि यह प्रथम दृष्टया महसूस किया गया कि श्रीमती शांता वानी द्वारा यह स्थापित करते हुए, कि उनका प्रकाशन अपीलकर्ता, श्री एस.एस. बाल्कि, जिन्होंने चंद्रपुर से लोकशाही समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, से लगभग दो दशक पहले से प्रकाशित किया जा रहा था, प्रस्तुत अभिलेखों के आलोक में, शीर्षक पर श्रीमती शांता वानी का दावा, अपीलकर्ता से पहले था।

बोर्ड की राय यह भी थी कि अपीलकर्ता को शीर्षक में कुछ उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने का सुझाव देना आरएनआई द्वारा औचित्यपूर्ण है। पक्षों को इस विचार से अवगत कराये जाने के बाद, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता, श्री एस. एस. बाल्कि ने स्वेच्छा से "लोकशाही" से पहले 'भारती' शब्द लगाने की इच्छा व्यक्त की। अन्य बातों के साथ-साथ उनकी इच्छा पर विचार करते हुए बोर्ड ने माना कि अपील का निपटारा हो गया है और साथ ही आरएनआई को निदेश दिया कि समुचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सुझाया गया शीर्षक अपीलकर्ता, श्री बाल्कि को आवंटित किया जाए। इसके पश्चात्, बोर्ड ने आरएनआई को निदेश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया का उचित अनुपालन करने के पश्चात् श्रीमती शांता वानी को पंजीकरण संख्या आवंटित की जाए।

वर्ष 2008 के आदेश पर अब, वर्ष 2022 में पुनर्विचार करने की मांग की गई है। दिनांक 04.12.2008 का आदेश तर्कसंगत आदेश है। हमने पुनर्विचार याचिकादाता को विस्तार से सुना है और हमारी राय में, इतनी लंबी अवधि के बाद दिनांक 04.12.2008 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए कोई मामला नहीं बनता है। फिर भी, अगर पुनर्विचार याचिकादाता को कोई शिकायत है, तो वह आरएनआई से संपर्क कर सकता है, जो विधि अनुसार उसकी शिकायत पर विचार कर सकता है। हालांकि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने उस दावे पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जो पुनर्विचार याचिकादाता आरएनआई के समक्ष करना चाहता है और आरएनआई स्वतंत्र रूप से और विधि अनुसार इस पर विचार कर सकता है।

पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/64/21-22-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 3

संपादक, कोवई सारथी की अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर के विरूद्ध अपील।

कोरम : न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :
श्री आर. राघवन, संपादक, कोवई सारथी
श्री नवल किशोर प्रसाद, पंजीकरण पर्यवेक्षक

आदेश
दिनांकित 30 अगस्त, 2022

हमने श्री आर. राघवन को सुना। पुलिस आयुक्त, कोयंबटूर को 23 सितंबर, 2022 को पेश होने के लिए नोटिस जारी करें। उस दिन आयुक्त, बोर्ड की सहायता के लिए, कागजात के साथ एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें। बोर्ड यह जानना चाहता है कि पुलिस की किस आपत्ति के परिणामस्वरूप अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोयंबटूर ने कोयंबटूर जिले में तमिल द्विमासिक पत्रिका 'कोवई सारथी' प्रकाशित करने की श्री आर. राघवन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है।

23 सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/66/21-22-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 4

श्री रविराज ऐवले, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, दैनिक अप्रतिम, कोल्हापुर की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर के विरुद्ध अपील।

कोरम: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :
श्री रविराज कृष्ण ऐवले, अपीलकर्ता
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता, श्री मूल सिंह एवं श्री प्रशांत एस चौहान

आदेश दिनांकित
30 अगस्त, 2022

अपील बोर्ड ने अपीलकर्ता, श्री रविराज कृष्ण ऐवले और उनके अधिवक्ता, श्री प्रशांत एस चौहान को सुना। बोर्ड ने पाया कि जिस आदेश को अपील बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई है, वह रिट याचिका संख्या 3810/2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष भी चुनौती के अधीन है। बॉम्बे हाईकोर्ट के दिनांक 03.08.2022 के आदेश में संकेत दिया गया है कि 'अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने संशोधन के लिए छुट्टी की प्रार्थना की थी और छुट्टी दे दी गई थी''। मामले को सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2022 को सूचीबद्ध किया गया। चूंकि आक्षेपित आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती के अधीन है, अपील बोर्ड इस अपील को लेकर सुनवाई नहीं कर सकता। अपीलकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट से आवश्यक निदेश ले सकता है और सुनवाई की अगली तारीख अर्थात 23 सितंबर, 2022 को हमारे सामने पेश हो सकता है। मामले को 23 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित किया जाता है। प्रतिवादी मौजूद नहीं हैं। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके यह सूचित किया जाए कि मामले पर 23 सितंबर, 2022 को सुनवाई की जाएगी और वे उस दिन उपस्थित रहें।

ह0/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/56/19-20-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 5

कोरम: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :
श्री नवल किशोर, पंजीकरण पर्यवेक्षक, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 30 अगस्त, 2022

अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है। इस अपील में अपीलकर्ता ने दैनिक हिंदी सांध्य समाचारपत्र, रतलाम दर्शन और दैनिक हिंदी समाचार पत्र, साभार दर्शन के शीर्षक सत्यापन हेतु उनके आवेदन को रद्द करने के संबंध में उप प्रेस रजिस्ट्रार, भारतीय समाचारपत्रों के पंजीयक (आरएनआई), नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.01.2018 को चुनौती दी है।

डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील इस बोर्ड में नहीं की जा सकती।

अत: अपील जारी रखने योग्य नहीं है और इस प्रकार खारिज की जाती है।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/69/19-20-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 6

श्री शरद औदिच्य, मुद्रक/प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस, सतना, एमपी की अपील

कोरम: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :
श्री प्रवेश शर्मा, दिल्ली प्रमुख, सेमरिया एक्सप्रेस
श्री हितेश रावत, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 30 अगस्त, 2022

हमने अपीलकर्ता, श्री शरद औदिच्य को सुना। आरएनआई के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हम आरएनआई को निदेश देते हैं कि वह आक्षेपित आदेश के अंतिम पैराग्राफ के संबंध में विशेष रूप से अपना जवाब दाखिल करे। हम जानना चाहते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 14, 15, 15 (2) के कथित उल्लंघन के संबंध में आरएनआई का मामला क्या है। हमने गौर किया कि आरएनआई ने अपने पत्र दिनांकित 28 जून, 2022 में कहा है कि सेमरिया एक्सप्रेस ने पिछले 5 वर्षों से आरएनआई के कार्यालय में वार्षिक विवरणी नहीं दी है। आरएनआई के पत्र दिनांकित 28 जून, 2022 और इसके आगे के पत्र दिनांकित 12.11.2021, जोकि जिला कलेक्टर को संबोधित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए, उत्तर दाखिल करें। जवाब पहले से दाखिल करें और एक प्रति अपीलकर्ता को पहले से दें।

हम मामले को 23 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित करते हैं।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/70/19-20-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 09.09.2022

मद सं. 7

श्री धर्मवीर कुशवाहा, स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक, राजधानी मीडिया, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की अपील।

कोरम: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति :
श्री धर्मवीर कुशवाहा, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, राजधानी मीडिया
श्री हितेश रावत, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 30 अगस्त, 2022

अपीलकर्ता, श्री धर्मवीर कुशवाहा ने जिला कलक्टर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2022 को इस अपील में चुनौती दी है। हमने श्री कुशवाहा और आरएनआई के प्रतिनिधि को भी सुना। हमने पाया कि आक्षेपित आदेश में, कलक्टर ने श्री जगदीश प्रसाद, परिवहन निरीक्षक, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा की गई शिकायत पर विश्वास किया कि श्री कुशवाहा झूठी खबर प्रकाशित करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं और रकम ऐंठने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि श्री कुशवाहा जाति संबंधी अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और अधिकारियों से प्रति माह 50,000/- रुपये ऐंठने का प्रयास करते हैं। वह अधिकारियों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित करते हैं। आक्षेपित आदेश में विद्वान मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी शायोपुर जिला, म॰प्र॰ द्वारा पारित एक आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के तहत दोषी सिद्ध किया गया था और एक वर्ष के कारावास (कैद) की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 1000/- रुपये जुर्माना भरने का निदेश दिया गया

था। अपीलकर्ता ने हमें बताया कि उसने उक्त आदेश के खिलाफ अपील की है और वह लंबित है। इस आधार पर अपीलकर्ता की घोषणा निरस्त की गई है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के तहत घोषणा को रद्द करने के लिए आपराधिक मामले का लंबित होना कोई आधार नहीं है। पीआरएबी अधिनियम की धारा 8बी के तहत निम्नलिखित चार आधारों पर घोषणा को रद्द किया जा सकता है: -

1) समाचार पत्र, जिसके संबंध में घोषणा की गई है, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में प्रकाशित किया जा रहा है; या

2) घोषणापत्र में उल्लिखित समाचार पत्र का शीर्षक उसी भाषा में या उसी राज्य में प्रकाशित, किसी अन्य समाचार पत्र के समान या उससे मिलता-जुलता है; या

3) मुद्रक या प्रकाशक ऐसी घोषणा में उल्लिखित समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है; या

4) घोषणा झूठे अभ्यावेदन पर या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने पर या आवधिक कार्य के संबंध में की गई थी जो एक समाचार पत्र नहीं है।

इस मामले में इनमें से कोई भी आधार नहीं बनता है। अत: कलक्टर द्वारा अपीलकर्ता की घोषणा को रद्द नहीं किया जा सकता था। यदि अपीलकर्ता किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो पक्षकार कानून में प्रदान किए गए उचित उपाय को हमेशा अपना सकते हैं। अतः अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/68/22-23-पीआरएबी- पीसीआई
दिनांकित: 26.09.2022

मद सं. 8

घोषणा को अस्वीकार करने और पत्रिका/समाचारपत्रों को प्रकाशित/मुद्रित करने की अनुमति के लिए, श्री आर. राघवन, सेल्वापुरम, कोयंबटूर की अपील।

अपीलकर्ता
श्री आर.राघवन,
सेल्वापुरम, कोयंबटूर

बनाम
प्रतिवादी

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं
   जिला राजस्व अधिकारी, कोयंबटूर (तमिलनाडु)
2. पंजीयक
   भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय,
   नई दिल्ली।

कोरम : न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति:
श्री आर. राघवन, संपादक, कोवई सारथी
सुश्री अंजू सुसन जेम्स, पंजीकरण पर्यवेक्षक, आरएनआई
श्री सौरभ कुमार, अनुभाग अधिकारी, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 23 सितंबर, 2022

श्री आर. राघवन ने अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर द्वारा तमिल द्विमासिक समाचारपत्र, कोवई सारथी, कोयम्बटूर के मुद्रण और प्रकाशन की अनुमति को अस्वीकार करने के आदेश दिनांकित 18.5.2021 के विरुद्ध अपनी अपील दायर की है।

हमने शिकायतकर्ता को सुना, उन्होंने कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट इस आधार पर उसकी घोषणा पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि पुलिस को कुछ आपत्ति है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वास्तव में पुलिस की ओर से कोई आपत्ति नहीं है और आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

हमने गौर किया कि आक्षेपित आदेश में विद्वान मजिस्ट्रेट ने केवल यह विवेचित किया है कि अपीलकर्ता के अनुरोध को पुलिस के पास सत्यापन हेतु भेजा गया था और पुलिस की दृष्टि में, श्री राघवन को पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति जारी किए जाने पर उन्हें आपत्ति है। इसलिए, श्री राघवन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा उठाई गई आपत्ति के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है। आक्षेपित आदेश एक ऐसा आदेश है, जो अस्पष्ट है और बिना किसी कारण के जारी किया गया है। केवल यह कह देना कि पुलिस को आपत्ति है, पर्याप्त नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट को यह बताना चाहिए था कि पुलिस द्वारा वास्तव में क्या आपत्ति जताई गई थी। आदेश बिना किसी कारण के जारी किया गया है। प्रत्येक आदेश में उचित कारण होने चाहिए, क्योंकि कारण देने से किसी भी आदेश में स्पष्टता और पारदर्शिता आती है।

हमने 30.8.2022 को पुलिस आयुक्त, कोयम्बटूर को नोटिस जारी किया था। हमने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी, कि आयुक्त, कागजात के साथ-साथ बोर्ड की सहायता हेतु, एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। आगे यह भी विवेचित किया गया था कि बोर्ड यह जानना चाहता है कि पुलिस द्वारा ऐसी क्या आपत्ति उठाई गई, जिसके परिणामस्वरूप अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोयम्बटूर ने श्री राघवन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था।

यह दुख की बात है कि पुलिस आयुक्त न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और न ही उन्होंने बोर्ड की सहायता के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त किया है। यह पुलिस के बेहद गैरजिम्मेदाराना और संवेदनाहीन रवैये को दर्शाता है।

इन परिस्थितियों में एडीएम और जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.5.2021 अपास्त किया जाता है।

यह मामला अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोयंबटूर को अपीलकर्ता, श्री राघवन, पुलिस को सुनने और उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के निदेश के साथ वापस भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती

है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें। चूंकि आवेदक की घोषणा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नहीं है, श्री राघवन आरएनआई के साथ प्रकाशन को पंजीकृत करने और अपने समाचारपत्र को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं। इससे उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही होगी।

अत: हमने जो समय सीमा निर्धारित की है, उसके भीतर, शीघ्रता से अपील को समाप्त किया जाए। तदनुसार अपील समाप्त की जाती है।

सचिवालय को निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति सभी पक्षों, विशेष रूप से अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर को तुरंत भेजें।

अपील समाप्त की जाती है।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/64/21-22-पीआरएबी- पीसीआई
दिनांकित: 29.09.2022

मद सं. 9

श्री रविराज ऐवले, संपादक, मुद्रक, दैनिक अप्रतिम, कोल्हापुर की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर के विरुद्ध अपील।

अपीलकर्ता

श्री रविराज कृष्ण ऐवले,
संपादक, दैनिक अप्रतिम, कोठाली,
कोल्हापुर, महाराष्ट्र
बनाम

प्रतिवादी

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट,
   कलेक्टर कार्यालय, स्वराज भवन,
   नगला पार्क, बावाड़ा रोड, कोल्हापुर
2. श्री सूरज संजय विभूते, कोठाली,
   कोल्हापुर, महाराष्ट्र

कोरम : न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से श्री मूल सिंह, अभिलेख अधिवक्ता
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रशांत एस चौधरी
श्री रविराज ऐवले, अपीलकर्ता
सुश्री अंजू सुसन जेम्स, पंजीकरण पर्यवेक्षक, आरएनआई
श्री सौरभ कुमार, अनुभाग अधिकारी, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 23 सितंबर, 2022

यह अपील श्री रविराज कृष्ण ऐवले, संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक, दैनिक अप्रतिम द्वारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8 (सी) के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.11.21 के विरुद्ध दर्ज़ की गई है। उक्त आदेश प्रतिवादी संख्या 2, श्री सूरज विभूते द्वारा की गई शिकायत पर पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 नोटिस दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए।

संक्षेप में, प्रतिवादी संख्या 2 की शिकायत से ऐसा प्रतीत होता है, कि दैनिक अप्रतिम के आरएनआई प्रमाण पत्र में प्रिंटिंग प्रेस के नाम का उल्लेख सारिका प्रिंटिंग प्रेस, जयसिंहपुर है। हालांकि वह प्रिंटिंग प्रेस पिछले चार-पांच साल से बंद है। अब दैनिक अप्रतिम अपने दैनिक संस्करण में कुसुम प्रिंटिंग प्रेस, कोरोची, तालुका हथकर्णगे का नाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में दिखा रहा है जहाँ से अप्रतिम छापा जा रहा है। हालाँकि, ऐसा नहीं है। कुसुम प्रिटिंग प्रेस ने विवेचित किया है कि उक्त प्रेस द्वारा अप्रतिम की छपाई नहीं की जाती है। अत: अप्रतिम के संपादक ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत अपराध किया है।

प्रतिवादी संख्या 2 का आगे मामला यह है कि वर्तमान में अप्रतिम की छपाई जयसिंगपुर से की जा रही है। अप्रतिम के संपादक ने सरकार को इन सब बातों का खुलासा नहीं किया है और इसलिए, संपादक ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के तहत अपराध किया है। प्रिंटिंग प्रेस में बदलाव होने पर भी, अप्रतिम के संपादक द्वारा आरएनआई प्रमाण पत्र में परिवर्तन नहीं करवाया गया। कानून के मुताबिक उसे आरएनआई से संशोधित प्रमाणपत्र लेना होता है, जो उसने नहीं किया है। इसके अलावा, अप्रतिम आरएनआई को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रहा है। अतः विधिनुसार, संपादक से जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी संख्या 2 का आगे मामला यह है कि, विधिनुसार, प्रत्येक समाचारपत्र की दो प्रतियां संपादक द्वारा सरकार और आरएनआई को अग्रेषित की जानी होती हैं, जो अप्रतिम के संपादक द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए, उन्होंने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के तहत अपराध किया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोपों का विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पक्ष लिया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने तीन निष्कर्ष दिए। उन्होंने रिकॉर्ड किया, कि अप्रतिम को सारिका प्रिंटर द्वारा प्रिंट नहीं किया जा रहा है; कि धारा 19(घ) के अनुसार अप्रतिम ने आर.एन.आई. को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और धारा 11(क) के अनुसार, अप्रतिम ने समाचार पत्र के प्रकाशित होते ही उसकी प्रतियां सरकार को अग्रेषित नहीं की हैं। इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट का विचार है कि अप्रतिम के संपादक ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए, उन्होंने अप्रतिम की घोषणा को रद्द कर दिया। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, इस आदेश को हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि विद्वान मजिस्ट्रेट के निदेश पर, इस आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता के कार्यालय को सील कर दिया गया है। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अपीलकर्ता ने ऐसे ही आरोप लगाते हुए रिट याचिका संख्या 3810/2022 बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है। इसे देखते हुए हमने माना कि हम इस अपील पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता का मामला विचाराधीन है और उक्त रिट याचिका में आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है। इसलिए, हमने अपने आदेश दिनांकित 30.08.2022 द्वारा अपीलकर्ता को निदेश दिया कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय से आवश्यक निदेश प्राप्त करे, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि हम अपील के संबंध में आगे कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं, जब ऐसे ही आरोप लगाते हुए याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें इसी आदेश को चुनौती दी गई है और इसे रद्द करने की मांग की गई है।

20 सितंबर, 2022 को अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पक्षकारों की श्रेणी से हटाने की अनुमति मांगी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 में भारत संघ, भारतीय प्रेस परिषद एवं प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड थे। उच्च न्यायालय ने अपील को जारी रखने की दृष्टि से प्रतिवादियों, 1 से 3 को हटाने की अनुमति दे दी। अपीलकर्ता के जोखिम पर यह कार्रवाई की गई।

इस प्रकार, भारतीय प्रेस परिषद और बोर्ड अब बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं हैं। यद्यपि हमने अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से निदेश दिया था कि वह उच्च न्यायालय से उचित निदेश प्राप्त करे कि हम अपील के साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आक्षेपित आदेश को रिट याचिका में भी चुनौती दी गई है, पर उसने ऐसा नहीं किया।

जब अपीलकर्ता के अधिवक्ता से इसे लेकर सवाल किया गया तो उसने हमें बताया कि ये दोनों कार्यवाही अलग-अलग हैं, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर रहा है और उसकी शिकायत परिसर को सील करने के बारे में है, जबकि यह शिकायत हमारे समक्ष पहले दर्ज़ की गई अपील में नहीं थी। विद्वान परामर्शदाता ने कहा कि अपील दर्ज़ करने के पश्चात् कार्यालय को सील किया गया था। हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन गौरतलब है कि दोनों कार्यवाहियों में कॉमन थ्रेड है और कुछ मिलते-जुलते ही आरोप हैं। इसके अलावा दोनों कार्यवाहियों में आक्षेपित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गयी है।

अपीलकर्ता ने अपने परामर्शदाता के माध्यम से हमें बताया है कि वह इस समय कोरोची, तालुका हथकारंगले जिला कोल्हापुर में स्थित कुसुम प्रिंटिंग प्रेस से अप्रतिम समाचारपत्र की छपाई कर रहा है। उन्होंने आगे विवेचित किया है कि उन्होंने 2017 से 2021 तक आरएनआई के समक्ष वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की है। उन्होंने उन वार्षिक विवरणियों की प्रतियां हमें सौंपी हैं। यह जांच किए जाने की जरूरत है कि ये विवरणियां सत्य है या नहीं। अपीलकर्ता ने आगे विवेचित किया है कि धारा 11(ए) और (बी) के अनुसार, वह अप्रतिम अखबार की प्रतियां नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ-साथ आरएनआई को अग्रेषित कर रहा है। इस वक्तव्य को भी चैक किए जाने की जरूरत है।

इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि, यदि अपीलकर्ता एक नया फॉर्म -1 घोषणापत्र दाखिल करता है, तो आक्षेपित आदेश में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, उन्हें विधिनुसार उस पर विचार करना चाहिए। यदि उसने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षा का अनुपालन किया है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझें, उचित आदेश पारित कर सकते हैं। जहां तक आक्षेपित आदेश का संबंध है, चूंकि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई है कि उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए, हम गुण-दोष के आधार पर इस पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। चूँकि अपीलकर्ता का कार्यालय सील कर दिया गया है और इससे उसे बहुत कठिनाई हो रही है, विद्वान मजिस्ट्रेट को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर अपीलकर्ता के फॉर्म 1 घोषणा की कार्यवाही का यथासंभव शीघ्रता से निपटान करना चाहिए।

आरएनआई के प्रतिनिधि द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया है कि समाचारपत्रों के पंजीकरण, (केंद्रीय), नियम 1956 के नियम 4 के अनुसार, 'मजिस्ट्रेट की आधिकारिक मोहर सहित प्रमाणित प्रत्येक घोषणा की एक प्रति और किसी भी घोषणा को प्रमाणित करने से इनकार करने वाले प्रत्येक आदेश की एक प्रति, मजिस्ट्रेट द्वारा, घोषणा करने वाले और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को तथा प्रेस रजिस्ट्रार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी'।

अपीलकर्ता ने हमें सूचित किया कि उसने दिनांक 26.03.2021 को एक नया फॉर्म 1 घोषणापत्र दाखिल किया था, जो विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। यदि वह जो कह रहा है, वह सत्य है तो विद्वान मजिस्ट्रेट उस आवेदन का निपटान कर सकता है और यदि उसने उक्त घोषणा को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया है, तो उपर्युक्त नियम 4 के अनुसार, अस्वीकृति आदेश, आर.एन.आई. को अग्रेषित करें।

गौरतलब है कि चूंकि अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दिनांक 29.11.2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है और वर्तमान अपील में भी यही प्रार्थना की गई है, हम गुण-दोष के आधार पर इस पर कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है। उपर्युक्त निदेशों के साथ अपील को समाप्त किया जाता है। यहां हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने अपीलकर्ता के मामले में गुण-दोष के आधार पर अपनी कोई भी राय व्यक्त नहीं की है।

ह०/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह०/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8-सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email : secy-pci@nic.in; pcibppeditorial@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मि.सं. 27/69/21-22-पीआरएबी- पीसीआई
दिनांकित: 26.09.2022

मद सं. 10

श्री शरद औदिच्य, मुद्रक/प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस की जिला कलक्टर, सतना, म.प्र. के विरुद्ध अपील

अपीलकर्ता

श्री शरद औदिच्य,
स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक,
सेमरिया एक्सप्रेस, गली नंबर 1,
पानी की टंकी के सामने,
जवाहर नगर, सतना, मध्य प्रदेश।

बनाम

प्रतिवादी

जिला कलक्टर,
सतना, मध्य प्रदेश,
न्यू कलक्टर और कोर्ट,
धवारी-महादेव रोड,
प्रेम विहार कॉलोनी, सतना,
मध्य प्रदेश 485001

पंजीयक,
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय,
9वां तल, सूचना भवन,
नई दिल्ली- 110003

कोरम : न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष
श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य

उपस्थिति:

सुश्री अंजू सुसन जेम्स, पंजीकरण पर्यवेक्षक, आरएनआई
श्री सौरभ कुमार, अनुभाग अधिकारी, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 23 सितंबर, 2022

अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है, आर.एन.आई. के प्रतिनिधि निदेशानुसार उपस्थित हैं। जिला कलक्टर, सतना का प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं कर रहा है। चूंकि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है, इसलिए अपील को 19 अक्टूबर, 2022 के लिए स्थगित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस जारी करें, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख पर बोर्ड की सहायता के लिए उपस्थित रहने का निदेश दिया जाए। आरएनआई के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

ह0/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष

रजि.सं. 72127/99

''भारतीय प्रेस परिषद'' सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली,
की ओर से सचिव, श्रीमती अनुपमा भटनागर द्वारा मुद्रित, प्रकाशित तथा संपादित।
दूरभाष : 24368726, 24366404 (एक्सटैंशन 321 और 221) ई-मेल : secy-pci@nic.in
मुद्रण : चंदू प्रेस, 469 पटपड़गंज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली-110092
नि : शुल्क वितरण